न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—203/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/203)

1. रामदेव पुत्र काना, जाति तेली, निवासी ग्राम जूनिया, तहसील केकड़ी, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. राजेन्द्र चौधरी पुत्र बिरमा जाट निवासी नून्दडा तहसील मकराना, जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , केकड़ी विरूद्ध निर्णय दिनांक 12.03.2022 राजस्व वाद संख्या 249/2021

उपस्थितः—

1. श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री गोविन्द शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 02.

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

निर्णय

दिनांकः— 17.04.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 249/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की उपधारा 1 के अंतर्गत पेश कर निवेदन किया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रिजस्टर किया जाकर अपीलांट के नाम नोटिस जारी किया गया जिस पर अपीलांट को कोई नोटिस तामिल नहीं करवाया गया बल्कि बिना कोर्ट के आदेश के फर्जी तौर पर दो गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर चस्पानगी करते हुए गैर कानूनी रूप से पत्रावली को दिनांक 12.03.2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत कर दिनांक 15.12.2021 को अपीलांट को कैम्प में हाजिर होना कथन अंकित करते हुए सरसरी तौर पर बिना प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के तहत सुनवाई का अवसर दिए बगैर अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता प्रदान करने का गैर कानूनी आदेश दिनांक 12.03.2022 को पारित कर दिया। अतः अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 249/2021 में

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

पारित आदेश दिनांक 12.03.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी ने बिना प्रार्थी को नोटिस तामिल कराए, बिना साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए प्रकरण को लोक अदालत में नियत कर अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता कायम करने का आदेश पारित कर दिया है। जिसकी पूर्व में प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी उक्त जानकारी अभी हाल ही में दिनांक 1.7.2002 को प्रार्थी को हुई जब उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रार्थी को डी0डी भिजवाया गया। तब दिनांक 04.07.2022 को प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जाकर जानकारी की एवं जानकारी होने पर उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नकल प्राप्त की एवं फीस आदि का प्रबंध कर दिनांक 16.07.2022 को अजमेर आया एवं अविलम्ब अपील न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विपक्षी द्वारा प्रकरण दिनांक 10.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था व दिनांक 10.12.2021 को अधीनस्थ न्यायालय की फर्द अहकाम के अनुसार अपीलांट को सम्मन जारी करने के आदेश प्रदान किए गए हैं जबकि फर्द अहकाम पर नोटिस जारी करने बाबत अलग से कोई नोटिंग नहीं की गई है। तत्पश्चात पत्रावली दिनांक 15.12.2021 को कैम्प जूनिया में प्रस्तुत की गई एवं उसमें राजीनामा नहीं होने के कथन अंकित कर पत्रावली मे आगमी तारीख नियत कर दी गइ। चूंकि न तो अपीलांट के नाम न्यायालय द्वारा कोई नोटिस तामिल करवाया गया एव ना ही सीपीसी के प्रावधानों के तहत न्यायालय द्वारा चस्पानगी का कोई आदेश प्राप्त किया गया। इस प्रकार सारी कार्यवाही विपक्षी ने मिलीभगत कर बिना अपीलांट को नोटिस तामिल कराए अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता प्राप्त करने का आदेश पारित करवा लिया। अपीलांट दिनांक 15.12.2021 को लोक अदालत में न तो स्वयं हाजिर हुआ एवं न ही कोई वकील अपीलांट द्वारा नियुक्त किया गया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर अपने द्वारा पारित गैर कानूनी निर्णय दिनांक 12.03.2022 में यह कहते हुए गैर कानूनी निर्णय पारित कर दिया कि विपक्षी दिनांक 15.12.2021 को कैम्प जूनिया में उपस्थित हुआ था जबकि न्यायालय की फर्द अहकाम पर अपीलांट के कोई हस्ताक्षर अंकित नहीं है एवं ना ही अपीलांट कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुआ था। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर अपीलांट के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित किया है। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विपक्षी ने अपने पालतू जानवरों को ले जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। चूंकि धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत लेजिस्लेचर द्वारा सन् 2005 में काश्तकारी कानून में संशोधन करते हुए यह कानून बनाया गया था कि एक खातेदार अपनी खातेदारी की आराजीयात को काश्त करने हेतु रास्ते की मांग कर सकता है बशर्ते अन्य कोई रास्ता उसकी खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात पर काश्त करने के लिए जाने हेतु नहीं हो तब ही धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता प्राप्त कर सकता है परंतु उपरोक्त प्रकरण में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

विपक्षी द्वारा पालतू जानवरों को लाने ले जाने हेतु रास्ता मांगा गया है जो कि धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रथम दृष्टया ही दिए जाने योग्य नहीं होने से विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त किए जाने योग्य था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता प्रदान करने का आदेश पारित कर दिया। विपक्षी ना तो ग्राम जूनिया में निवास करता है एवं न ही विपक्षी के पास कोई पालतू जानवर है इसके बावजूद भी विपक्षी ने गलत तथ्य अंकित करते हुए धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह कहते प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसके पालतू जानवरों को ले जाने हेतु रास्ता चाहिए जबकि विपक्षी ग्राम नून्दडा तहसील मकराना जिला नागौर का मूल निवासी है। इस प्रकार विपक्षी ने कोलूजन एवं सांठ गांठ कर गैर कानूनी रूप से बिना अपीलांट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिए बगैर अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से रास्ता देने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि कारित की है। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा बिना अपीलांट को नोटिस जारी किए बगैर सरसरी तौर पर मौका पर्चा मुर्तिब करवा लिया जबकि कानूनन मौका पर्चा बनाते वक्त अपीलांट को नोटिस जारी किया जाना अनिवार्य था। इसी प्रकार उपरोक्त मौका पर्चा बनाते वक्त अन्य कोई गांव के मौतबिरान व्यक्ति भी मौजूद नहीं थे। इस प्रकार विपक्षी ने बाले–बाले ही दुर्भिसंधी कर मौका पर्चा बनवाकर अपीलांट की खातेदारी भूमि में से रास्ता प्राप्त कर लिया जबकि अपीलांट की खातेदारी आराजीयात के लगवा खसरा नम्बर 1160, 1166, 1170, 1171 एवं 1184 में ग्रेनाइट की खान पर खनन हो रहा है जो कि मैसर्स शिवालिक ग्रेनाइट्स गोल्डन हार्मोनी एवं मैसर्स शिवालियक जरिए पार्टनर खान संचालित की जा रही है। ऐसी स्थिति में विपक्षी दुर्भिसंधी कर उपरोक्त रास्ते से खनन हेतु डम्पर निकालने के लिए उपरोक्त रास्ते का इस्तेमाल करना चाहते है इसलिए कानूनन धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कॉमशियल यूज के लिए धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता है इसलिए विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिल निरस्त किए जाने योग्य था। इसके बावजूद अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कराए बिना अपीलांट की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात में से नियमों के विपरीत रास्ता प्राप्त किया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 249/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2022 को निरस्त फरमाया जाकर विपक्षी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि मुकदमे का प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि अप्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात जो कि ग्राम जूनिया तहसील केकड़ी जिला अजमेर कि है जिसकी जमाबंदी संवत् 2073–76 के खाता संख्या नया–पुरान 1307–844 के खसरा नम्बर 7169/1159 रकबा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

0.32 है0 किस्म बारानी प्रथम दर्ज रिकार्ड खातेदार है। अप्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का अप्रार्थी के कब्जे काश्त व आधिपत्य की आराजीयात हैं जो अप्रार्थी के उपयोग उपभोग में चली आ रही है अप्रार्थी इसी आराजीयात में पालतू जानवर बांधता है, अप्रार्थी की खातेदारी के दक्षिण ओर खसरा नम्बर 1159 है जो प्रार्थी के कब्जे स्वामित्व व आधिपत्य वाली है एवं इसके पश्चात दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1577 है जो चारागाह भूमि है अप्रार्थी को स्वयं की आराजी खसरा नम्बर 7169/1159 में से चारागाह में जाने के लिए खसरा नम्बर 1577 जो चारागाह में पालतू जानवर चरने हेतु आते जाते है उक्त रास्ता प्रार्थी के खाते की भूमि से लगवा प्रार्थी की मेंड से होते हुए जाते आते हैं प्रार्थी दिनांक 05.12.2021 को अप्रार्थी के खेत के रास्ते को अवरूद्ध करने की धमकी दी इस रास्ते पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजमी हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा नम्बर 7169/1159 में आवागमन करने का सबसे नजदीकी रास्ता विपक्षी संख्या 01 की आराजी खसरा नम्बर 1159 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने नवीन रास्ता दर्ज करने के आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रंथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन संतोषजनक एवं सदभाविक प्रतीत होने से न्यायहित में हम प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित होगा। अतः न्यायहित में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी खातेदारी खेत खसरा नम्बर खसरा संख्या 7169/1159 रकबा 0.32 हैक्टर में से चारागाह खसरा नम्बर 1577 में पशुओं को चराने के लिए अपीलांट के खसरा नम्बर 1159 में से 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत रास्ते के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया। कानूनी रूप से पशुओं को चराने के लिए 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में रास्ते की मांग नहीं की जा सकती है। 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम में केवल कोई खातेदार अपनी खातेदारी भूमि में यदि रिकार्डेड रास्ता नहीं है तो रास्ते की मांग कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में रेस्पोडेंट द्वारा जो रास्ता चाहा गया है वह कानूनी रूप से दिया जाना संभव नहीं है, तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों यथा नोटिस का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि नोटिस जारी करने के बाद जा0दी0 के नियम 5 की पालना भी सुनिश्चित नहीं कि गई क्योंकि बिना न्यायालय के आदेश के नोटिस चस्पांदगी से तामील नहीं करवाए जा सकते चूंकि प्रथम बार में ही नोटिस बिना न्यायालय के आदेश के चस्पांदगी से तामिल करवाए गए जो भी न्याय संगत नहीं है, तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय लोक अदालत में किया गया है जबकि लोक अदालत में वही प्रकरण निस्तारित किया जा सकता है जिनमें पक्षकारान के बीच आपसी समझौते एवं विधि विरूद्ध नहीं हो। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र का निर्णय करने से पूर्व अपीलांट को समुचित तामिल करवाए बगैर आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

पारित किए हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है, अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 की पालना किए बगैर बनाई गई मौका रिपोर्ट को आधार बनाकर आदेश पारित किया है। इस प्रकार रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संधारण योग्य ही नहीं था, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग कर एवं अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिए बिना एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 की पालना किए बगैर ही पारित किया है जो पूर्णतः विधि विरूद्ध हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 249/2021 में पारित आदेश दिनांक 12.03.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का विधिक रूप से पेश किया गया है, या नहीं तथा क्या चारागाह भूमि संख्या 1755 मे पशुओं को चराने हेतु 251 ए में रास्ता दिया जा सकता है या नहीं स्पष्ट आदेश पारित करते हुए यदि रेस्पोडेंटस संख्या 01 का प्रार्थना पत्र 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की परिधि में आता है अथवा नहीं एवं अपीलांटस को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के सरकारी नियम 69 की पालना सुनिश्चित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें तथा यदि रेस्पोडेंट संख्या 01/प्रार्थी को यह स्वतंत्रता दी जाती है कि वह अपने खातेदरी खेत खसरा नम्बर 7169/1159 में कृषि संबंधित कार्य करने के लिए आने जाने हेतु यदि कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है तो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत आवेदन करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील अधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 17.04.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील अधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner